उज्जैन जमीन घोटाले की कराए न्यायिक जांच

नयी दिल्ली, 24 जून. कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर उज्जैन में जमीन खरीद में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले में श्वेत पत्र जारी कर प्रकरण की न्यायिक जांच कराने की मांग की है.

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा तथा मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री यादव के परिवार जो जमीन खरीदी है उसकी बुनियाद में विकास परियोजना खाका का तैयार करने का आरोप लगाया जा रहा है. पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री तथा उनके परिवार की सदस्यों द्वारा खरीदी गई जमीनों और बाद में घोषित विकास परियोजनाओं के बीच संबंधों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. पार्टी नेताओं ने कहा कि श्री यादव के परिवार ने उज्जैन में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी है. उन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद करीब 168 एकड़ भूमि खरीदी है जिसमें से 111 एकड़ जमीन उस क्षेत्र में स्थित है जहां सिंहस्थ कुंभ से जुड़े विकास कार्य प्रस्तावित हैं. उज्जैन के जिन इलाकों में 2035 के मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य होने हैं, वहां भी मुख्यमंत्री के परिवार द्वारा जमीन खरीदे जाने की जानकारी सामने आई है.

> कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उज्जैन और अयोध्या करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं और इन क्षेत्रों से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए. उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री होने के नाते श्री यादव को विकास योजनाओं और उनसे संबंधित फाइलों की जानकारी रहती है, इसलिए इस पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच आवश्यक है. श्री खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में कार्रवाई की उम्मीद नहीं है, लेकिन जनता के सामने तथ्यों को लाना विपक्ष का दायित्व है. उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या और उज्जैन से जुड़े मामलों में भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब भाजपा को देना चाहिए.

श्री पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सार्वजनिक रूप से भाजपा, श्री मोदी और मुख्यमंत्री यादव से सवाल पूछे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है. उनका कहना था कि यदि सब कुछ पारदर्शी है और किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ है तो भाजपा को इस पूरी प्रकरण की स्वतंत्र न्यायिक जांच से परहेज नहीं होना चाहिए. कांग्रेस ने नेताओं ने मांग की है कि मुख्यमंत्री यह स्पष्ट करें कि 2023 के बाद उनके परिवार ने कितनी जमीन खरीदी, क्या उन जमीनों का संबंध बाद में घोषित विकास परियोजनाओं वाले क्षेत्रों से है और सरकार क्या इन परियोजनाओं की समय सीमा और प्रक्रिया को सार्वजनिक करेगी. पार्टी ने मुख्यमंत्री के परिवार द्वारा खरीदी गई जमीनों पर श्वेत पत्र जारी करने तथा पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की.

गुणवत्ता निगरानी के मापदंड हो निर्धारित

भोपाल, 24 जून. मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए मानक मापदंड निर्धारित किए जाएं और अधिकारियों द्वारा नियमित गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित किया जाए.

राज्यपाल श्री पटेल ने आज लोक भवन में जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि योजनाओं की मंशा और उनके क्रियान्वयन की व्यवहारिकता में संवेदनशीलता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन तकनीकी विषय है, इसलिए केवल हितग्राहियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. बैठक में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों की अधोसंरचनात्मक और हितग्राहीमूलक योजनाओं तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई.

सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी

राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के लिए संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा से पहले कार्य पूर्ण करने की रणनीति बनाने के निर्देश दिए. श्री पटेल ने प्रदेश में सिकल सेल उन्मूलन अभियान की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2027 के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही वर्ष 2026 तक लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है. उन्होंने अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि 15 वर्ष तक की आयु के सिकल सेल रोगी और वाहकों के स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा आवश्यक दवाओं की उपलब्धता हर समय सुनिश्चित की जाए.

9 दिन की देरी से एमपी में मानसून की एंट्री

42 जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट

▸ 3-4 दिन में कई हिस्सों में पहुंचेगा मानसून

भोपाल, 24 जून. लंबे इंतजार के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून ने बुधवार को मध्य प्रदेश में आखिरकार दस्तक दे दी. मौसम विभाग ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मानसून इस बार अपनी सामान्य तारीख 15 जून से 9 दिन की देरी से प्रदेश में पहुंचा है.

फिलहाल मानसून ने बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश किया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले तीन से चार दिनों में यह तेजी से आगे बढ़ते हुए प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को कवर कर लेगा. मानसून की एंट्री के साथ ही बैतूल, बुरहानपुर समेत कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने भोपाल सहित 42 जिलों में तेज हवा, गरज-चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है. इनमें भोपाल, रायसेन, सीहोर, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, धार, खरगोन, बड़वानी, आलीराजपुर, हरदा, नर्मदापुरम, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, सिवनी, रीवा और सिंगरौली जैसे जिले शामिल हैं. मानसून आने से पहले भी प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज रहीं. पिछले 24 घंटे के दौरान 39 जिलों में बारिश और आंधी दर्ज की गई.

बारिश के बाद थमी वाहनों की रफ्तार...

भोपाल में बुधवार शाम हुई बारिश के बाद शहर की रफ्तार कुछ थमी हुई नजर आई. बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया, जिससे वाहनों की आवाजाही धीमी पड़ गई। खासकर एमपी नगर, न्यू मार्केट, बोर्ड ऑफिस चौराहा, रोशनपुरा और 10 नंबर मार्केट जैसे व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया.

हाईकोर्ट की अनुमति पर निर्भर रहेगा ताजिया जुलूस

धार, 24 जून. मध्यप्रदेश में धार के हटवाड़ा स्थित ऐतिहासिक सरकारी इमामबाड़ा प्रकरण में 25 जून को होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं. इस बीच सरकारी ताजिया कमेटी ने समाज से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है.

सरकारी ताजिया कमेटी के सदर मोहम्मद सिद्दीक ने कहा कि कमेटी कानून और न्यायालय के प्रत्येक निर्णय का सम्मान करेगी. उन्होंने मुस्लिम समाज तथा शहरवासियों से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और अमन-चैन बनाए रखने का आग्रह किया. उन्होंने बताया कि सरकारी इमामबाड़ा से बेदखली संबंधी प्रशासनिक नोटिस के विरुद्ध इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. कमेटी की ओर से न्यायालय में आवश्यक दस्तावेज और ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा अब आगामी सुनवाई के निर्णय पर आगे की स्थिति निर्भर करेगी.

सूत्रों के अनुसार हाल ही में जिला प्रशासन, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों और अन्य पक्षों की बैठक में यह सहमति बनी थी कि न्यायालय का जो भी फैसला होगा, उसे सभी पक्ष स्वीकार करेंगे तथा शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे.

राम मंदिर ट्रस्ट पर कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

पारदर्शिता और जांच की मांग

विशेष संवाददाता

भोपाल, 12 जून. मध्य प्रदेश कांग्रेस धर्म एवं मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ ने अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए उस पर वित्तीय अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी के आरोप लगाए हैं.

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष साध्वी ऋचा गोस्वामी, प्रदेश संयोजक शिवनारायण शर्मा, सहसंयोजक ओंकारदास वैष्णव तथा कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर भारती सहित पुजारी संगठनों के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे. मुकेश नायक ने मंदिर परिसर में निगरानी कैमरों के बंद रहने और श्रद्धालुओं के चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने मंदिर निर्माण के दौरान दान में मिली सोने-चांदी की राम शिलाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनकी उपयोगिता और स्थिति को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है. सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े मंदिर ट्रस्ट धार्मिक आस्था का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं.

उन्होंने प्रमुख मंदिरों से जुड़े भ्रष्टाचार, चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की. साध्वी ऋचा गोस्वामी ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की खबरों से करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं.

> कांग्रेस नेताओं ने चढ़ावे के उपयोग, भूमि खरीद विवाद, खर्चों की पारदर्शिता, वीआईपी दर्शन व्यवस्था, कारसेवकों के पुनर्वास तथा अयोध्या कॉरिडोर से प्रभावित लोगों को मुआवजे जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा. कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर भारती ने चेतावनी दी कि यदि सात दिनों के भीतर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संत समाज, धर्माचार्यों और रामभक्तों के साथ देशव्यापी जनआंदोलन शुरू किया जाएगा.

थाना प्रभारी सिरमौर दीपक तिवारी ने रैली निकाल दी जानकारी

सिरमौर, 24 जून. पुलिस विभाग द्वारा साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम सेफ़ क्लिक 2.0 के तहत सिरमौर थाना प्रभारी दीपक तिवारी और स्टाफ द्वारा सिरमौर कस्बे में पैदल जागरूकता रैली सीएम राइज स्कूल के बच्चों के साथ निकाली गई जिसमें साइबर ठगी से बचने के तरीके, अनजान लिंक से बचने, हज्ञक्क क्क्ष्ह और पासवर्ड की गोपनीयता बनाने रखने व किसी से न साझा करने, ऑनलाइन दोस्ती सोच-समझकर करने, निजी जानकारी साझा न करने तथा सुरक्षित इंटरनेट इस्तमाल करने के बारे में अवगत कराया गया।

राम मंदिर अनियमितताओं की जांच की मांग

विशेष संवाददाता

भोपाल, 24 जून. मध्य प्रदेश कांग्रेस धर्म एवं मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ ने बुधवार को अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा राशि से जुड़ी कथित चोरी एवं वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर टी.टी. नगर थाना में ज्ञापन सौंपा.

प्रकोष्ठ ने मामले में एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष साध्वी ऋचा गोस्वामी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि देश के करोड़ों रामभक्तों की आस्था और विश्वास बनाए रखने के लिए मामले की पारदर्शी एवं निष्पक्ष जांच आवश्यक है.

पेट्रोल-डीजल बचाने कोर्ट की गाइडलाइन

वाहन पूलिंग और वकीलों से व्हीसी के जरिए पैरवी की अपील

जबलपुर. देश में ईंधन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और न्यायिक कार्यों को निर्बाध बनाए रखने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप जारी इस एडवाइजरी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर लागू किया गया है. यह निर्देश मप्र हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर खंडपीठों के साथ-साथ प्रदेश की सभी जिला अदालतों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं पर लागू होंगे. नई गाइडलाइन के तहत न्यायालयों में उपलब्ध सरकारी वाहनों के उपयोग को नियंत्रित और व्यवस्थित किया जाएगा. निर्देशों के तहत पूल वाहनों का उपयोग केवल न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाएगा.

अधिकारियों और कर्मचारियों के निवास स्थान के आधार पर रूट-वाइज तथा लोकैलिटी-वाइज वाहन योजना तैयार की जाएगी वाहन की अधिकतम बैठने की क्षमता का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा.

ममता के भतीजे अभिषेक को कोर्ट से राहत

जबलपुर. पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने खारिज की गयी याचिका को रिस्टोर करने की अनुमति प्रदान करते हुए भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर रोक लगा दी है. आकाश विजयवर्गीय द्वारा साल 2021 में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भोपाल के एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में मानहानि का प्रकरण दायर किया था. उनकी तरफ से कहा गया था कि नवंबर 2020 में कोलकाता की एक सभा में अभिषेक बनर्जी ने उन्हें गुंडा कहा था. जिसके कारण उनके परिवार की छवि धूमिल हुई है.

कांग्रेस जनता को गुमराह करना बंद करे

कांग्रेस विकास कार्यों पर खड़ा कर रही है अनावश्यक विवाद

उज्जैन हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक क्षेत्र है: रामेश्वर

भोपाल, 24 जून. भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने उज्जैन भूमि प्रकरण को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह करना बंद करे.

श्री शर्मा ने बुधवार को भोपाल में कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जो ब्यौरा दिया था, उसमें एक इंच भूमि की भी वृद्धि नहीं हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का निशाना सनातन पर है और वह विकास कार्यों को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा कर रही है. उन्होंने कहा कि उज्जैन हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक क्षेत्र है और मुख्यमंत्री डॉ. यादव वहां के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं. आगामी कुंभ आयोजन को लेकर तैयारियां चल रही हैं, जिससे कांग्रेस परेशान है.

कांग्रेस के आरोप तथ्यहीन: रामेश्वर

भाजपा विधायक ने कहा कि महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन की तैयारियों पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, जबकि अन्य धार्मिक आयोजनों पर होने वाले खर्च को लेकर उसे कोई आपत्ति नहीं होती. श्री शर्मा ने कहा कि उज्जैन के विकास और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है तथा कांग्रेस के आरोप तथ्यहीन हैं.

थाने के कंप्यूटर कक्ष में आग, दस्तावेज और उपकरण नष्ट

सिवनी. मध्यप्रदेश में सिवनी जिले के घंसौर थाना परिसर स्थित कंप्यूटर कक्ष में आग लगने से कंप्यूटर, प्रिंटर, इन्वर्टर, बैटरियां तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए. मंगलवार देर रात थाना परिसर के कंप्यूटर कक्ष से धुआं और आग की लपटें उठती देख पुलिसकर्मियों ने तत्काल आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कक्ष में रखा अधिकांश सामान जल चुका था. आग के कारण कंप्यूटर कक्ष का नियंत्रण तंत्र भी क्षतिग्रस्त हो गया है. प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है.

सशक्त उद्यमी, समृद्ध मप्र समिट 27 को

▸ एमएसएमई के लिए बायर-सेलर मीट भी होगी

▸ सीएम डॉ. यादव होंगे शामिल

> मुख्य सत्र में प्रमुख सचिव एमएसएमई राघवेन्द्र कुमार सिंह स्वागत उद्बोधन देंगे. एमएसएमई एवं स्टार्टअप्स के समर्थन के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ एमओयू का आदान-प्रदान किया जाएगा, एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप और मुख्य सचिव अनुराग जैन भी समिट को संबांधित करेंगे.

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 24 जून. अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026 पर सशक्त उद्यमी, समृद्ध मध्यप्रदेश समिट, शनिवार 27 जून को रविन्द्र भवन, भोपाल में आयोजित होगी.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे. कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा. उद्योग आयुक्त दिलीप कुमार के मुताबिक मुख्यमंत्री डॉ. यादव भूमि आवंटन, भूमिपूजन, लोकार्पण तथा एमएसएमई, स्टार्टअप एवं स्वरोजगार लाभार्थियों को चेक प्रदान करेंगे. समिट में खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र एवं परिधान तथा अभियांत्रिकी क्षेत्रों के एमएसएमई के लिए बायर-सेलर मीट आयोजित होगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एमएसएमई प्रदर्शनी एवं ईज ऑफ डूइंग क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे. प्रदर्शनी में लगभग 50 स्टॉल होंगे, जिनमें एमएसएमई, स्टार्टअप, विभागीय स्टॉल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ओ.डी.ओ.पी, योजना लाभार्थी, महिला स्व-सहायता समूह, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भोपाल, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भोपाल, भारतीय मानक ब्यूरो, जीईएम, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान तथा बैंकों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे, जो प्रतिभागियों को संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करेंगे. पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण भी समिट में भाग लेंगे.

एमडी ड्रग निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़

भोपाल. जिले में अवैध रूप से संचालित एमडी ड्रग निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शिवांशु धर द्विवेदी पिता आनेन्द्र धर द्विवेदी दिनांक 23/06/2026 को सिंगरौली से भोपाल जाते समय चितरंगी मोटरसायकल से चितरंगी से सिंगरौली रेलवे स्टेशन जा रहा था पीछे मोटरसायकल में बैग लटकाया हुआ था चितरंगी से नौगई क्षेत्र के बीच में करीब शाम 4:30 बजे बैग की बध्धी टूट जाने की वजह से बैग गिर गया, जिसमे दो शर्ट पैंट का कपड़ा और केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं की अंकसूची (रोलनंबर-1261274) और आय-निवास प्रमाण पत्र था जो खो गया। किसी सज्जन को मिले, तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें।

प्रार्थी, शिवांशु धर द्विवेदी
ग्राम पोस्ट, चितरंगी, मो.नं- 9630189438

पेज एक का शेष

मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में बागी सांसदों को मिलेगा स्थान

लेकिन बिहार में नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भाजपा द्वारा केन्द्रीय मंत्रिमंडल में एक कैबिनेट मंत्री का स्थान देने की बात हुई थी ऐसे में इस विस्तार में जदयू अध्यक्ष संजय कुमार झा को कैबिनेट में स्थान मिल सकता है. कहा जा रहा है कि बिहार से संबंध रखने वाले एक कैबिनेट मंत्री की छुट्टी हो सकती है. राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल समाप्त होने के बाद जार्ज कुरियन व रवनीत सिंह बिट्टू तथा उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा को नई जिम्मेदारी मिलने के कारण यानी उक्त चारों की मंत्रिमंडल से विदाई तय है. इसके अलावा आधा दर्जन कैबिनेट मंत्री और आधा राज्यमंत्री की विदाई तय मानी जा रही है. इतना ही नहीं रिपोर्टकार्ड के आधार पर एक दर्जन मंत्रियों का विभाग परिवर्तन भी किए जाने की चर्चा है.

10 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए

राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि इसमें से लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर का योगदान मध्यप्रदेश का हो. वर्तमान में मप्र की गिनती देश के सबसे तेजी से प्रगति करने वाले राज्यों में हो रही है. हम विरासत भी और विकास भी के पथ पर लगातार अग्रसर हो रहे है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है. उन्होंने रानी दुर्गावती का स्मरण करते हुए कहा कि प्रदेशवासी रानी दुर्गावती के बलिदान को सदैव याद रखेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में पिछले तीन साल से विकास का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है. मप्र में नए उद्योग स्थापित करने के लिए पर्याप्त लैंड बैंक है. राज्य सरकार ने उद्योग अनुकूल वातावरण तैयार करने लिए पारदर्शी और उद्योग मित्र नीतियां लागू की हैं. मप्र की इन्हीं विशेषताओं के कारण निवेशक उद्योग लगाने के लिए राज्य में आ रहे हैं. देश के मध्य में स्थित होने के कारण उन्हें कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स का विशेष लाभ भी मिलेगा. प्रदेश सरकार ने चारों दिशाओं में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए अधोसंरचना विकास पर विशेष बल दिया है.

नर्मदा नदी से अवैध रेत उत्खनन और मछली पकड़ने पर रोक बरकरार

जबलपुर, 24 जून. मप्र हाईकोर्ट ने अपने एक अहम आदेश से नर्मदा नदी के अवैध रेत उत्खनन और अवैध मछली पकडने पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा है. एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले में सरकार को जवाब पेश करने मोहलत प्रदान की है.

उप नाम सुधार सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लिपिकीय त्रुटि वस मेरा उपनाम शासकीय अभिलेखों में संजीत कुमार बाल्मीक व पिताजी का नाम मगन लाल बाल्मीक लिख गया है। जो गलत है जबकि मेरा वास्तविक नाम संजीत सिंह बोहत एवं मेरे पिता जी का नाम मगन लाल बोहत है। . यही उक्त नाम मेरा सभी जगह शासकीय अभिलेखों में भी यही लिखा है । जो सही और सत्य है ।आज प्रकाशित दिनांक 25 जून 2026 से मेरे सभी शासकीय अभिलेखों में व अन्य सरकारी रिकॉर्ड मे उक्त नाम लिखा, पढ़ा ,पुकारा व जाना जावे . जो सही और सत्य है जो सर्वमान्य है.

पता -संजीत सिंह बोहत , बाल्मीक कॉलोनी वार्ड 20 ,सिंधी कैंप सतना, मध्य प्रदेश

गुम शुदा सूचना

मै सौरभ सिंह टेकाम s/o वीरेंद्र कुमार सिंह निवासी बगदरी नं 02 पोस्ट सोनाड़ी तहसील रामनगर जिला मैहर (म.प्र.) का निवासी हु मै 2025 में नवोदय विद्यालय से 12वी कक्षा उत्तीर्ण की विद्यालय द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति कही गुम हो गई है अत: मुझे दूसरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिलाया जाए जिससे मुझे भविष्य में परेशानी का सामना न करना पड़े.

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला सतना म.प्र.

क्रमांक/116/प्रवा/अपर कले./26
सतना, दिनांक 29.05.2026

//सार्वजनिक सूचना//

विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 6 के तहत

--00--

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजकिशोर विश्वकर्मा पुत्र श्री ईश्वरदीन विश्वकर्मा उम्र 30 वर्ष (09.07.1995) स्थिति अवविवाहित व्यवसाय मैकेनिक स्थायी निवासी वार्ड नम्बर 08 ग्राम नंदहा पोस्ट अटरा थाना उचेहरा तहसील उचेहरा जिला सतना म.प्र. 485446 एवं आवेदिका साक्षी गुप्ता पुत्री श्री नत्थू गुप्ता उम्र 20 वर्ष (28.8.2006) स्थिति-अविवाहित व्यवसाय गृहणी स्थायी निवासी मकान नम्बर 12 वार्ड नं. 09. ग्राम भर्री पोस्ट अटरा, थाना उचेहरा तहसील उचेहरा जिला सतना म.प्र. 485446 के द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के अंतर्गत विशेष विवाह अनुष्ठापन हेतु आवेदन दिनांक 09.04.2026 को प्रस्तुत किया गया है.

उक्त प्रस्तावित विवाह अनुष्ठापन के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति को कई आपत्ति हो तो वह आपत्ति लिखित रूप में इस न्यायालय में दिनांक 30.06.2026 को या इसके पूर्व न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

अपर कलेक्टर
एवं विशेष विवाह अधिकारी
जिला -सतना (म.प्र.)

संयुक्त आपत्ति सूचना

मै निम्न हस्ताक्षरकर्ता:-

1. रश्मी तिवारी, पुत्री श्री रावेन्द्र कुमार तिवारी.
2 श्रीमती कलावती तिवारी, पत्नी श्री मकसूदन प्रसाद तिवारी.
3. श्री मकसूदन प्रसाद तिवारी, पिता श्री नागेश्वर प्रसाद तिवारी.

यह सार्वजनिक सूचना देते है कि भारतीय सेना में सेवारत श्री रावेन्द्र कुमार तिवारी के सेवा अभिलेख (Service Record) में हमारे नाम एवं जन्मतिथि संबंधी निम्न त्रुटियां अंकित है, जिनका संशोधन कराया जा रहा है.

(क) रश्मी तिवारी द्वारा:
सेवा अभिलेख में मेरा नाम कुमारी रश्मी अंकित है, जबा मेरा सही एवं वैध नाम रश्मी तिवारी है.

(ख) श्रीमती कलावती तिवारी द्वारा:
सेवा अभिलेख में मेरा नाम कलावती देवी तथा जन्म तिथि 03.08.1953 अंकित है, जबकि मेरा सही नाम कलावती तिवारी एवं सही जन्मतिथि 01.01.1950 है.

(ग) श्री मकसूदन प्रसाद तिवारी द्वारा:
सेवा अभिलेख में मेरा नाम मक्सुदान प्रसाद तिवारी तथा जन्मतिथि 01.02.1949 अंकित है, जबकि मेरा सही एवं वैध नाम मकसूदन प्रसाद तिवारी तथा सही जन्मतिथि 01.01.1948 है.

अत: सर्वसाधारण एवं संबंधित विभागों को सूचित किया जाता है कि उर्पयुक्त सही नाम एवं जन्मतिथियां ही वैध एवं प्रामणिक मानी जाए तथा भारतीय सेना के सेवा अभिलेख में आवश्यक संशोधन किया जाए.

यदि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा विभाग को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता/सकती है. अन्यथा नियमानुसार संशोधन की कार्यवाही पूर्ण कर दी जाएगी.

OBJECTION NOTICE

We,the undersigned:
1.Ms, Rashmi Tiwari, daughter of Mr. Ravendra kumar Tiwari.
2. Mrs. kalavati Tiwari, wife of Mr. Maksoodan prasad tiwari, and
3. Mr, Maksoodan prasad Tiwari, son of Mr. Nageshwar prasad Tiwari.
hereby give public notice that certain errors have been recorded in the service Record of Mr. Ravendra kumar Tiwari, who is serving in the Indian Army, and th same are being corrected as detailed below.

(A) By Ms. Rashmi Tiwari
My name has been incrrectly recorded in the Service Recofd as kumari Rashmi whereas my correct and lawful name is Rashmi Tiwri.

(B) By Mrs. Kalavati Tiwari
My name has been incorrectly recorded in the service Record as kalavati Devi and my date of birth as 03.08.1953, whereas my correct mane is kalavati Tiwari and my correct date of birth is 01.01.1950.

(C) By Mr. maksoodan prasad Tiwari
My name has been incorrectly recorded in the Service Record as Maksudan prasad Tiwari and my date of birth as 01.02.1949, whereas my correct and lawful name is Maksoodan prasad Tiwari and my correct date of birth is 01.01.1948

Therefore, the general public and all conecmed authorities are hereby infomed that the above-mentioned correct names and dates of birth shall be treated as valid and authentic and necessary corrections may be made in the indian Amy Service Record.

If any person, institution, or department has any objection regarding the abve corrections,the same may be submittec in writing within 15 (Fifteen) days ffom the date of publication of this notice, Failing which, the correction process shall be completed as per rules.